उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-29/2015/430/62-2-2015-
लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी,2015

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-429/62-2-2015, दिनांक 04-02-2015 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, बस्ती को, कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ (मुख्यालय) से सम्बद्ध किया गया है।

2- श्री राजेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता के मुख्यालय से सम्बद्धीकरण के फलस्वरूप् रिक्त हुए अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, बस्ती का अतिरिक्त कार्यभार नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद संतकबीनगर, जिनके पास सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद बस्ती का अतिरिक्त प्रभार है, को दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस हेतु श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद संतकबीरनगर को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

ह0/
भरत लाल राय,
विशेष सचिव।

सं0-29/2015/430(1)/62-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।